उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-69/2017-18

मदन सिंह

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 28/2/23

सभी पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता मदन सिंह, पे0—स्व0 लक्ष्मण सिंह, सा0—कुरावा, थाना—पोड़ैयाहाट, जिला—गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के भू—अर्जन वाद सं0—18/2014—15 के आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा—कुरावा नं0—110, जमाबंदी सं0—22 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में भूपाल सिंह के नाम से दर्ज है। गत जमाबंदी रैयत भूपाल सिंह का वंशावली निम्न प्रकार है :—

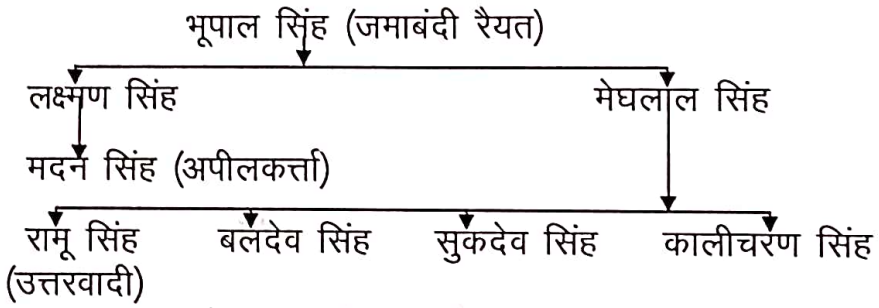

उनका आगे कथन है कि मौजा—कुरावा नं0—110, (फूलवार पछिम टोला), जमाबंदी सं0—22, कुल रकवा 41—05—07 धुर जमीन गत जमाबंदी रैयत के वारिशानों ने दाग नं0—191 की जमीन, जिसमें कुँआ अवस्थित है, को छोड़कर सभी जमीन का आपसी बँटवारा कर लिया है। उक्त सिंचाई पक्के कुँए का भी भू—अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। चूँकि उक्त कुँए का बँटवारा नहीं हुआ है और अपीलकर्त्ता कानून के अनुसार पक्के कुँए में आधा का हकदार है। लेकिन सिंचाई कुँए की सारी मुआवजा राशि उत्तरवादी रामू सिंह को दे दी गयी है, जो अवैध एवं मुआवजा नियम के विपरीत है। उन्होंने जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता जिस जमीन पर दखलकार थे, उस जमीन का मुआवजा उन्हें प्राप्त हो गया है। चूँकि कुँए की जमीन उत्तरवादी के हिस्से में था एवं उत्तरवादी ही दखलकार थे और भू–अर्जन नियम के अनुसार जमीन से जुड़े पेड़ों, संरचना और अन्य का मुआवजा उस व्यक्ति को दिया जायेगा, जिसके हिस्से की जमीन रहा है। चूँकि उत्तरवादी के हिस्से की जमीन पर कुआँ का निर्माण किया था। इसलिए उत्तरवादी को मुआवजा देना सही है। अमीन के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि उक्त जमाबंदी के सभी हिस्सेदारों को कब्जा के अनुसार मुआवजा का भुगतान दिया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि निम्न न्यायालय ने नियम संगत आदेश पारित किया है। इसलिए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेखबद्ध कागजात एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा एवं अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि मौजा–कुरावा नं0–110, जमाबंदी सं0–22 जमाबंदी रैयत भूपाल सिंह वो भैरों सिंह, पेसरान दारों सिंह कौम घटवाल के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। यह स्पष्ट है कि उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–191 पर अवस्थित कुआँ की जमीन का मुआवजा राशि उत्तरवादी रामू सिंह को भुगतान किया गया है और अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त दाग नं0 पर आपसी बँटवारा हिस्सेदारी के अनुसार उत्तरवादी राम प्र0 सिंह का दखल दिखाया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के भू–अर्जन वाद सं0–18/2014–15 में दिये गये आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.04.17 11:02:49 +05:30
Location: 172.17.16.1

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।